

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सं. भा.वि.प्रा./सीएच/ओपीएस-एसएम/2024-25

दिनांक: 27.06.2024

### सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि बकायादार (डिफॉल्टर) अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छोड़े गए और परित्यक्त जीएसई को हटाने के लिए, उससे सभी लागू बकाया राशि का निपटान करने और उन्हें 05.05.2024 को या उससे पहले चेन्नई हवाई अड्डा के परिसर से हटाने का आह्वान किया गया था। बेदखली अधिकारी द्वारा पत्र संख्या भा.वि.प्रा./सीएचएन/ओपीएस/बीएटीएस-इविकशन/23-24/181 दिनांक 19.02.2024 को बकायादार अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया गया कि वह इन सभी जीएसई आदि को 29.02.2024 तक चेन्नई हवाई अड्डे के परिसर से हटा ले, लेकिन 27.06.2024 तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

यदि वह उन्हें 05.07.2024 को या उससे पहले चेन्नई हवाई अड्डे के परिसर से हटाने में विफल रहता है, तो उनकी नीलामी एमएसटीसी की प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, अपने जोखिम और लागत पर उनका निपटान किया जाएगा, उससे प्राप्त किए गए स्ट्रैप मूल्यों की आय और उनका शेष, यदि कोई हो, सभी किए गए खर्चों को घटाने के बाद और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - चेन्नई हवाई अड्डे को देय राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (आज तक संशोधित) की धारा 28-ई के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - चेन्नई हवाई अड्डे को उपलब्ध सभी अधिकारों, उपायों और लाभों पर किसी पूर्वाग्रह के बिना 1994 (आज तक संशोधित) या वर्तमान में लागू या भविष्य में आने वाले किसी अन्य कानून के अनुसार जारी की जा सकती है।

उप महाप्रबंधक (प्रचालन-एसएम)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - चेन्नई हवाई अड्डा

दूरभाष नंबर: 044-2256-4499

मेल आईडी: dgmaocchn@aai.aero